try-wise break up of foreign direct investment for the years 1991, 1992 and 1993, German's position stands at 4th, 6th and 10th respectively.

(b) The recent visit by the Prime Minister and his team to Germany is likely to give great impetus to the Government's efforts in attracting larger German's investment to India.

Industrial Development of backward areas

3136. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for the Industrial Development of the backward areas of the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is also a fact that Government have decided to base the backwardness in terms of Districts in the States; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) The Government in 1988 announced a Growth Centre Scheme for industrialisation of less industrialised areas in the country. The Growth Centres under the Scheme would be provided with basic infrastructural facilities like water, power, telecom, banking etc., so as to attract industries to these areas.

(c) and (d) There is at present no proposal to revise the list of backward districts/areas.

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को उत्तर प्रदेश के रुग्ण उद्यमों के मामलों का सौंपा जाना

3137. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के रुग्ण उद्यमों के मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को उनके पुनर्वास/पुनरुद्धार की योजना बनाने के लिए सौंपे गए हैं :

(ख) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा इन मामलों में 31 अक्टूबर, 1993 तक क्या विचार किया गया है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे नौ उपक्रम हैं जिन्हें रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपा गया है । इन उपक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०
2. भारत पम्प ऐंड कंप्रैसर्स लि०
3. स्कूटर्स इन्डिया लि०
4. टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपो० लि०
5. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०
6. कानपुर टैक्सटाइल्स लि०
7. एलिगन मिल्स लि०
8. ने०ट०का० (उत्तर प्रदेश) लि०
9. यू० पी० ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० ।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने पहले ही प्रचालन अभिकरण नियुक्त कर दिए हैं तथा 31 अक्टूबर, 1993 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नौ रुग्ण उपक्रमों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है ।